ग्राम पंचायत खोली, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023

भाग-एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत खोली, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री केवल कुमार	01-04-21 से 31-03-23

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सोनी कुमार	01-04-21 से 31-03-23

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत खोली के अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	33.75
2.	6	प्रिया सॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों	6.99

		में लाख का बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना	
3.	7	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप सम्भावित राजस्व हानि	1.28
4.	8	निर्माण कार्य Construction of kuhal from satish Land to Lekh Raj Land के लिए अधिक भुगतान करने बारे	0.17
5.	9	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करना	0.06

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी, जो अत्यंत चिंताजनक है। अतः ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई करनी सुनिश्चित करे तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाये ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्नलिखित दर्शायी गई है :-

1 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि "04/2013 से 03/2016" तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1	पैरा 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की अंकेक्षण शुल्क मांग व प्राप्ति रजिस्टर पेज-2 से पुष्टि उपरान्त
2	पैरा 4	अनिर्णीत	
3	पैरा 4.1, 4.2	अनिर्णीत	
4	पैरा 5	अनिर्णीत	
5	पैरा 5.1	अनिर्णीत	
6	पैरा 5.2	अनिर्णीत	
7	पैरा 5.3	अनिर्णीत	
8	पैरा 6	अनिर्णीत	
9	पैरा 7	अनिर्णीत	
10	पैरा 8	अनिर्णीत	
11	पैरा 9	अनिर्णीत	
12	पैरा 10	अनिर्णीत	
13	पैरा 10.1	अनिर्णीत	

14	पैरा 11	अनिर्णीत	
15	पैरा 12	अनिर्णीत	
16	पैरा 13	अनिर्णीत	
17	पैरा 14	अनिर्णीत	

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत खोली, विकास खण्ड कॉंगड़ा, जिला कॉंगड़ा के अवधि "01/04/2021 से 31/03 /2023" तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 27-02-2024 से 05-03-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय, खोली में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	02/22	07/21
2022-23	02/23	05/22

<u>अस्वीकरण</u> :- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत खोली, विकास खण्ड भवारना, जिला कॉंगड़ा के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹5,600**/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 196 दिनांक 05.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खोली से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत खोली द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्वः स्त्रोत:- ग्राम पंचायत खोली के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	141177.40	89483.00	230660.4	79815.00	150845.40
2022-23	150845.40	245920.60	396766.00	26115.00	370651.00

{ख} अनुदान:- ग्राम पंचायत खोली के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	1130135.00	8848920.83	9979055.83	6835009.00	3144046.83
2022-23	3144046.83	8776744.00	11920790.83	8545648.00	3375142.83

{ग} दिनाकं 31.03.23 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1.	General	KCCB KANGRA	50056080296	370651.00
2.	5TH FC	KCCB KANGRA	20033022664	359579.83
3.	SBM/TSC	KCCB KANGRA	50056080285	0.00
4.	15TH FC	IDBI KANGRA	59104000054968	2912895.00
5.	SDP/MMGAY	KCCB 53 MILE	50055681890	77342.00
6.	VKVNY/SDP	KCCB 53 MILE	50056115925	25326.00
7.	हस्तगत रोकड़			0.00
कुल योग				**3745793.83**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-23 को बैंक अनुसार अन्त शेष	**3745793.83**
दिनांक 31-03-23 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	**3745793.83**
अंतर	**0.00**

4.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ है। अत: वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाऐं।

5. **अनुदान राशि ₹33.75 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधानऔरभत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है |

पंचायत द्वारा अनुदानों से सबंधित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट-1"** के अनुसार दिनांक 31-03-23 तक अनुदान राशि ₹3375142.83 उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 194(1) दिनांक 05.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत खोली से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16/GP KHOLI दिनांक 05.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्ति हो चुकी है, उनके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके, उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतू व्यय करना सुनिश्चित किया जाये |

6. **प्रिया सॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में ₹6.99 लाख का बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना :-**

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E- Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है जिसका क्रियान्वन पंचायती राज विभाग हि. प्र. कर रहा है | इस योजना के क्रियान्वयन के साथ – साथ हि. प्र. पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अंतर्गत e-panchayt में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा प्रिया सॉफ्ट (computerised) दोनों माध्यम से किया जा रहा तथा जो लेखे Priya Soft में बनाये जा रहें है वे बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही खातों से मिलान नहीं खाते। परिणामस्वरूप इनके परस्पर आंकड़ों में ₹699274.33 का बहुत ज्यादा अंतर पाया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(क) चयनित माह के दौरान प्रियासॉफ्ट में दर्ज मासिक प्राप्ति /व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही के अनुसार मासिक प्राप्ति /व्यय में अंतर **(except manrega)**

क्रम स.	माह	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	7/21	33345.00	33345.00	0.00	32610.00	20400.00	12210.00
2	2/22	44192.00	330558.00	286366.00	58128.00	58128.00	0.00
3	5/22	284745.00	486009.00	201264.00	274161.00	274161.00	0.00
4	2/23	114300.00	138137.00	23837.00	0.00	27100.00	27100.00

(ख) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति /व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक प्राप्ति /व्यय में अंतर **(Except MNREGA)**

क्रम सं.	वर्ष	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	2021-22	4235467.33	3310301.83	925165.50	1307572.00	1286722.00	20850.00
2	2022-23	4424134.83	4070546.60	353588.53	3736367.00	3619645.00	116722.00

(ग) प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए बैंक शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- **(Except MNREGA)**

वर्ष	प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष	बैंक पासबुक के अनुसार शेष+(CASH IN HAND)	अंतर
2022-23	4439218.16 + 5850.00 (Cash in Hand) = 4445068.16	**3745793.83**	699274.33

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 194(2) दिनांक 05.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या क्रमांक 16/GP KHOLI दिनांक 05.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप राशि ₹1.28 लाख की सम्भावित राजस्व हानि:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या स्प्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार **₹128640**/- का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है :-

नाम	**मात्रा (cum)**	**फैक्टर**	**कुल मात्रा**	**दर (प्रति टन)**	**राशि**
रेत	109.48	1.62	177.36	60	10642
बजरी	218.43	1.52	332.01	60	19920
पत्थर	5.94	2.24	13.31	60	799
रेत	199.02	1.62	322.41	80	25793
बजरी	376.30	1.52	571.97	80	45758
कुल योग					**102912**
पेनल्टी 25%					**25728**
कुल योग					**128640/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 195(4) दिनांक 05.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या क्रमांक 16/GP KHOLI दिनांक 05.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण रॉयल्टी की गणना नहीं की जा सकी।

अतः **₹128640/-** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार अपेक्षित समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102- Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके वस्तुस्थिति,नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित करें।

8 निर्माण कार्य Construction of kuhal from Satish Land to Lekh Raj Land के लिए ₹0.17 लाख का अधिक भुगतान बारे :-

निर्माण कार्य **Construction of kuhal from Satish Land to Lekh Raj Land** से सम्बन्धित प्रस्तुत अभिलेख के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 13761, पृष्ट संख्या 26-28, में निर्माण सामग्री (शेट्रिंग) का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिए निर्माण सामग्री (शेट्रिंग)का क्रय अधिक किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	**सामग्री का नाम**	**क्रय की गयी सामग्री की मात्रा**	**निर्माण कार्य पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा**	**अंतर**	**दर**	**राशि**
1	शेट्रिंग	2770 sqft	1273.45 sqft	1496.55 sqft	12	17958
	कुल योग					**17958/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 195(10) दिनांक 05.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु इस सम्बन्ध सचिव ग्राम पंचायत खोली द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया |

अत: अंकेक्षण अधियाचना का उत्तर न देने के कारणों से अवगत करवाते हुये उक्त कार्यों हेतु क्रय निर्माण सामग्री की अपेक्षा कम सामान के प्रयोग/लेखांकन के फलस्वरूप अधिक भुगतान/अनियमित व्यय को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. विवाह पंजीकरण शुल्क राशि ₹0.06 की वसूली न करने बारे :-

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु 200(सामान्य)व आई . आर. डी. पी./बी.पीएल.के लिए 25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के बाद 90 दिनों के भीतर 400 (सामान्य)से व 50 आई. आर. डी. पी./बी.पीएल से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है |

अंकेक्षण के दौरान विवाह पंजीकरण रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 04/21 से 03/23 के दौरान निम्नलिखित आवेदकों का विवाह पंजीकरण किया गया था परन्तु इनसे विवाह पंजीकरण शुल्क की कोई प्राप्ति नहीं की गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	वर्ष	आवेदक का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूल योग्य राशि
1.	2021-22	कपिल देव पुत्र श्री मदन लाल (BPL)	30.04.2021	02.06.2021	50
2.	2021-22	सुमित कुमार पुत्र श्री प्रशोतम चन्द (BPL)	27.04.2021	30.06.2021	50
3.	2021-22	रजनीश कुमार पुत्र श्री सुभाषश चन्द (BPL)	21.05.2021	15.06.2021	25
4.	2021-22	प्रदीप कुमार पुत्र श्री अचर	21.04.2021	15.06.2021	50

		सिंह (BPL)			
5.	2021-22	दीपक कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द	01.07.2021	14.07.2021	200
6.	2021-22	अभिषेक कुमार पुत्र श्री राजेश कुमार	12.07.2021	25.07.2021	200
7.	2021-22	तनुज कुमार पुत्र श्री राम चंद (BPL)	08.10.2021	11.10.2021	50
8.	2021-22	दिनेश कुमार पुत्र श्रीपरविंदर कुमार (BPL)	13.10.2021	10.11.2021	25
9.	2021-22	निशांत कुमार पुत्र श्री गोरखु राम (BPL)	08.10.2021	10.11.2021	50
10.	2021-22	रजत कुमार पुत्र श्री टेक चन्द	07.11.2021	17.11.2021	200
11.	2021-22	रजनीश चौधरी पुत्र श्री सुरिंदर कुमार	08.12.2021	20.12.2021	200
12.	2021-22	आशीष कुमार पुत्र श्री वीरेंद्र कुमार (BPL)	07.11.2021	24.01.2022	50
13.	2021-22	पंकज कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश	05.02.2022	28.02.2022	200
14.	2021-22	मनीष कुमार पुत्र श्री कलि दास (BPL)	10.02.2022	07.03.2022	25

15.	2021-22	काका पुत्र श्री देश राज (BPL)	10.02.2022	07.03.2022	25
16.	2021-22	अनू कुमार पुत्र श्री मदन लाल (BPL)	14.04.2022	29.04.2022	25
17.	2021-22	पंकज पुत्र श्री स्वरूप लाल	17.04.2022	30.04.2022	200
18.	2021-22	अजय कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द	20.05.2022	13.06.2022	200
19.	2021-22	अतुल कुमार पुत्र श्री पूरण चन्द	06.06.2022	25.06.2022	200
20.	2021-22	अमन कुमार पुत्र श्री रवि कुमार	17.07.2022	10.08.2022	200
21.	2021-22	सुनील कुमार पुत्र श्री विक्रम चन्द (BPL)	08.07.2022	10.08.2022	50
22.	2021-22	साहिल चौधरी पुत्र श्री रविन्द्र कुमार	04.08.2022	16.08.2022	200
23.	2021-22	प्रदीप कुमार पुत्र श्री बिधि सिंह	08.07.2022	17.08.2022	200
24.	2021-22	निखिल नेगी पुत्र श्री परभात सिंह	18.07.2022	17.08.2022	200
25.	2021-22	करन कुमार पुत्र श्री हरबंश लाल	26.09.2022	22.10.2022	200
26.	2021-22	पंकज कुमार पुत्र श्री बसंती लाल	27.09.2022	22.10.2022	200
27.	2021-22	प्रवीन कुमार पुत्र	04.12.2022	23.12.2022	200

		श्री जगदीश चन्द			
28.	2021-22	रविंदर कुमार पुत्र श्री बिधि चन्द	02.12.2022	23.12.2022	200
29.	2021-22	दीपक कुमार पुत्र श्री देश राज	14.12.2022	23.12.2022	200
30.	2021-22	सौरभ पुत्र श्री न्नारेश कुमार	02.12.2022	23.12.2022	200
31.	2021-22	टिंकू कुमार पुत्र श्री परवीन चन्द	27.09.2022	23.12.2022	400
32.	2022-23	अनिल सैनी पुत्र श्री हरनाम दास	15.01.2023	22.01.2023	200
33.	2022-23	विशाल कुमार पुत्र श्री सुदेश कुमार	15.01.2023	04.02.2023	200
34.	2022-23	विपन कुमार पुत्र श्री शुभाष चन्द	26.01.2023	08.02.2023	200
35.	2022-23	शुभम चौधरी पुत्र श्री हंस राज	27.01.2023	15.02.2023	200
36.	2022-23	रमित कुमार पुत्र श्री देश राज	06.02.2023	25.02.2023	200
37.	2022-23	विकाश कुमार पुत्र श्री बीरबर	22.02.2023	10.03.2023	200
कुल योग					**5675/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 194(3) दिनांक 05.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या क्रमांक 16/GP KHOLI दिनांक 05.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को

अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 ₹300 की राशि रोकड़ बही में कम दर्ज करने बारे

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 10 के अनुसार सचिव द्वारा प्रत्येक आहरण ,प्राप्ति की और तथा निक्षेप सवितरण की रोकड़ बही में शीघ्रता से प्रविष्टी की जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सभा निधि की रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 92 पर दिनांक 23.02.2022 को सम्पति कर के रूप में ₹10000 की राशि दर्ज की गई थी जाँच रसीदों से करने पर पाया गया कि **₹300** की राशि रोकड़ बही में कम दर्ज की गई थी जिसका विवरण निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	रसीद संख्या	रसीद संख्या के अनुसार प्राप्त राशि	रोकड़ बही में दर्ज राशि	अन्तर
1	0171201 से 0171300	10300	10000	300
कुल योग				**300/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 195(9) दिनांक 05.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या क्रमांक 16/GP KHOLI दिनांक 05.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के दौरान बिलों का भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है ।

क्र° स°	**वर्ष**	**चयनित माह**	**चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि**
1.	2021-22	07/21	1730485.00
2.	2022-23	05/22	2166562.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 195(5) दिनांक 05.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या क्रमांक 16/GP KHOLI दिनांक 05.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

12. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा" ।

परन्तु अंकेक्षण हेतु चयनित माह 07/21 व 05/22 के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि माह 07/21 व 05/22 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/ वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे जो कि उपरोक्त नियमों के विपरित है|

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 195(6) दिनांक 05.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या क्रमांक 16/GP KHOLI दिनांक 05.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

13. क्रय की गई सामग्री के लिए आपूर्तिकर्ताओं को नगद में भुगतान करने बारेः-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 10(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री के क्रय के लिए आपूर्तिकर्ता को किए जाने वाले संदाय/भुगतान केवल क्रास-चैक द्वारा ही किए जाएँगे।

अंकेक्षण के दौरान पंचायत के अभिलेखों के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित अदायगियां नगद की गई थीं, जिसका विवरण निम्न विवरणानुसार है:-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/दिनांक	क्रय की गई सामग्री	भुगतान की गई राशि
1.	P-3/25.10.2021	Office Expenses	6700
2.	P-4/25.10.2021	Office Expenses	1915
3.	P-3/21.03.2023	Office Expenses	2200
कुल योग			**10815/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 195(8) दिनांक 05.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या क्रमांक 16/GP KHOLI दिनांक 05.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः पुर्णोक्त वर्णित नियम प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित न करने के कारणों से अवगत करवाते हुये इन नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में की जाने वाली अदायगीयां का भुगतान उपरोक्त नियम के अनुसार क्रास-चैक द्वारा ही की जाएँ तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

14. मापन पुस्तिकाओं का सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकरियों से नमूना जाँच व सत्यापन न करनाः-

हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, सकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 104 (i) व (ii) के अनुसार ग्राम पंचायत अपने स्तर पर निष्पादित किये जाने वाले संकर्मो की दशा में, तकनीकी सहायक द्वारा निर्माण पर्यवेक्षण अनिवार्य होगा तथा सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा, तकनीकी सहायक के तीन लाख रूपये तक की लागत के पैमाइश किये गये संकर्मो के दस प्रतिशत पर परीक्षण जांच संचालित करना अपेक्षित है तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि उपरोक्त नियम की अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसके कुछ प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	शीर्ष	स्वीकृत राशि	माप पुस्तिका व पेज संख्या
1.	C/O path from Hari Krishan house to Jondu Ram	मनरेगा	146000	13761/37-39
2.	C/O path from Bridge to Mehar chan land	मनरेगा	94000	13761/35-37
3.	C/O path from link road to pinki house	मनरेगा	299000	13761/39-42
4.	C/O path from Rup krishan house to Bachiter nag house	मनरेगा	143000	13761/42-44
5.	C/O kuhal from Satish land to lekh raj land	मनरेगा	260000	13761/26-28
6.	C/O Ambulance road from Jagat ram Lnd to kapur house	मनरेगा	262000	13761/86-88

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 195(7) दिनांक 05.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या क्रमांक 16/GP KHOLI दिनांक 05.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

15. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है|

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 195(11) दिनांक 05.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या क्रमांक 16/GP KHOLI दिनांक 05.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति अनुसार कृत सुधारात्मक अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	---	15(1)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(14)
5	सहायक अनुदान रजिस्टर, हि. प्र. पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34
6	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण न करना	25 व 26	72(1) (ए,बी)

16. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया।

17. लघु-आपति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

18. निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

2450-2454 का०/पु० 10 JUN 2024

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल०ए०)एच(पंच)(15)(2)2/2016–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी कॉंगड़ा, जिला कॉंगड़ा, हि०प्र०।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कॉंगड़ा, जिला कॉंगड़ा (हि०प्र०)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत खोली, विकास खण्ड कॉंगड़ा, जिला कॉंगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

10 JUN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/पु०

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT KHOLI BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA PINCODE 176056

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2021-22	141177.40	89483.00	230660.4	79815.00	150845.40

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2021 IN CASH BOOK 141177.40

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT KHOLI BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA PINCODE 176056

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	150845.40	245920.60	396766	26115.00	370651

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK 150845.40

PRADHAN SECY

J.A

20

परिशिष्ट -1 पैरा 5 के संदर्भ में

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP KHOLI BLOCK KANGRA FOR THE YEAR 2021-22

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MGNREGA	0	5628102.00	5628102.00	5628102.00	0.00
3	ZP	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5TH FC	180330.00	566502.83	746832.83	469489	277343.83
5	DPO GRANT	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	AAY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	36577	101009.00	137586.00	99531	38055.00
9	SDRF	0	0.00	0.00	0.00	0.00
10	13TH FC	0	0.00	0.00	0.00	0.00
11	SBM	180602.00	5479.00	186081.00	0.00	186081.00
12	GRDY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
13	RGSA	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	0	770106.00	770106.00	637887.00	132219.00
15	MMGPY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	732626.00	1777722.00	2510348.00	0.00	2510348.00
	TOTAL	**1130135.00**	**8848920.83**	**9979055.83**	**6835009.00**	**3144046.83**

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GPKHOLI BLOCK KANGRA FOR THE YEAR 2022-23						
S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MGNREGA	0.00	4952118.00	4952118.00	4952118.00	0.00
3	ZP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5TH FC	277343.83	381708	659051.83	299472	359579.83
5	DPO GRANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	0.00	0	0.00	0	0.00
7	AAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	38055.00	703	38758.00	0	38758.00
9	SDRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	13TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	SBM	186081.00	2750.00	188831.00	188831.00	0.00
12	GRDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	RGSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	132219.00	497450.00	629669.00	565759.00	63910.00
15	MMGPY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	2510348.00	2942015.00	5452363.00	2539468.00	2912895.00
	TOTAL	**3144046.83**	**8776744.00**	**11920790.83**	**8545648.00**	**3375142.83**

GRANT IN AID AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK **3144046.83**

PRADHAN SECY

DEV BLOCK ... KANGRA H.P.

BANK DETAIL OF GP KHOLI BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-21

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General	KCCB KANGRA	50056080296	141177.40
2	5TH FC	KCCB KANGRA	20033022664	180330.00
3	SBM/TSC	KCCB KANGRA	50056080285	180602.00
4	15TH FC	IDBI KANGRA	59104000054968	732626.00
5	SDP/MMGAY	KCCB 53 MILE	50055681890	13432.00
6	VKVNY/SDP	KCCB 53 MILE	50056115925	23145.00
7	CASH IN HAND			0.00
			TOTAL	**1271312.40**

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-22

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General	KCCB KANGRA	50056080296	150845.40
2	5TH FC	KCCB KANGRA	20033022664	277343.83
3	SBM/TSC	KCCB KANGRA	50056080285	186081.00
4	15TH FC	IDBI KANGRA	59104000054968	2510348.00
5	SDP/MMGAY	KCCB 53 MILE	50055681890	145651.00
6	VKVNY/SDP	KCCB 53 MILE	50056115925	24623.00
7	CASH IN HAND	0	0	0.00
			TOTAL	**3294892.23**

BANK DETAIL OF GP KHOLI BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General	KCCB KANGRA	50056080296	370651.00
2	5TH FC	KCCB KANGRA	20033022664	359579.83
3	SBM/TSC	KCCB KANGRA	50056080285	0.00
4	15TH FC	IDBI KANGRA	59104000054968	2912895.00
5	SDP/MMGAY	KCCB 53 MILE	50055681890	77342.00
6	VKVNY/SDP	KCCB 53 MILE	50056115925	25326.00
7	CASH IN HAND			0.00
			TOTAL	**3745793.83**

Junior Auditor
H.P. State Audit Department
Shimla - 9

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT KHOLI BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2021-22	688	100	10800	68800	79600	79600	0

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT KHOLI BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	987	100	0	98700	98700	98700	0

PRADHAN

J.A